यह निरीक्षण प्रतिवेदन **जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तरकाशी** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तरकाशी** के माह 10/2016 से माह 11/2017 तक के लेखा अभिलेखों की लेखापरीक्षा श्री अरिन्दम चटर्जी, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, **श्री महेश चंद, पर्यवेक्षक** एवं श्री **दयाशंकर,** वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 18.12.2017 से 29.12.2017 तक श्री **राज बहादुर**, लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग–1

1. **परिचयात्मकः**– इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री राज बहादुर, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री महेश चन्द्र, पर्यवेक्षक एवं श्री दिनेश नरवरिया, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 17.10.2016 से 27.10.2016 तक श्री अविनाश चन्द्र कटियार, वरिष्ट लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 11/2014 से माह 09/2016 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 10/2016 से 11/2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः– इकाई द्वारा जनपद के अन्तर्गत जनपद के अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग एवं समाज के कमजोर वर्ग आदि के उत्थान के लिए विभिन्न पेन्शन योजनाओं, छात्रवृत्ति, शादी विमारी, अनुसूचित जाति/जनजाति छात्रावास एवं अनुसूचित जाति/जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास आदि योजनाओं के माध्यम से कार्य किया जाता है।

   (ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः–

(धनराशि ` लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना			गैर स्थापना		बचत/आधिक्य
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	बचत/आधिक्य	आवंटन	व्यय	
2015-16	Nil	Nil	82.13	74.81	7.32	2809.07	2723.80	85.27
2016-17	Nil	Nil	76.94	72.52	4.42	2691.53	2663.96	27.57
2017-18 (11/2017)	Nil	Nil	82.15	58.36	00	2885.42	1554.40	00

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः–

(धनराशि ` लाख में)

योजना का नाम	2015–16			2016–17			2017–18		
	प्रा.अवशेष	प्राप्ति	व्यय	प्रा.अवशेष	प्राप्ति	व्यय	प्रा.अवशेष	प्राप्ति	व्यय
राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एन. एस. ए. पी)	Nil	304.45	304.45	00	387.16	387.16	15	00	00
अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति	Nil	12.58	12.58	00	119.11	81.72	50.49	00	00
अनुसूचित जनजाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति	Nil	2.49	2.49	00	8.74	8.74	13.27	00	00
अन्य पिछड़ा वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति	Nil	142.75	140.39	2.36	85.94	13.06	36.86	00	00

(i) इकाई को बजट आबंटन **निदेशक, समाज कल्याण भारत सरकार एवं राज्य सरकार** द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित करते हुए इकाइ ...**अ**....श्रेणी की है।

विभाग का संगठनात्मक ढ़ांचा निम्नवत हैः– सचिव, समाज कल्याण ⟶ निदेशक, समाज कल्याण ⟶ जिला समाज कल्याण अधिकारी

(ii)**लेखा परीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः–** लेखापरीक्षा में कार्यालय द्वारा गरीब, निर्बल, परितकता, निःशक्त, आरक्षित श्रेणी के लोगों को बिभिन्न योजनाओ के माध्यम से लाभ प्रदान किया जाता है। **जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तरकाशी** को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक–पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तरकाशी** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2017 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। शादी एवं बीमारी योजना, बृद्धावस्था पेंशन योजना, दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना, अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास, गौरा देबी कन्याधन योजना, विकलांग पेंशन योजना आदि का **वश्लेषण** किया गया। प्रतिचयन योजनान्तर्गत किये गये व्यय के आधार पर किया गया।

(स) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाए गए नियंत्रक महालेखा परीक्षक के (कर्तव्य,शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम 1971 (डी. पी. सी. एक्ट 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षक विनियम 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार संपादित की गयी।

भाग दो (अ)

प्रस्तरः 01 वृद्धावस्था पेंशन मद में अपात्र लाभार्थियों को धनराशि रु0 104.14 लाख का अदेय भुगतान।

वृद्धावस्था पेंशन विस्तार एवं प्रक्रिया सरलीकरण के लिए जारी उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या 1547/36–चार 1990 दिनांक 30 मार्च 1990 के बिन्दु 2 के अनुसार ऐसे मामले जहॉ पति/पत्नी दोना पेंशन के लिए पात्र है वहॉ नये प्रकरणों में पति–पत्नी में से केवल एक को ही वृद्धावस्था पेंशन अनुमन्य की जाएगी और ऐसे मामलों में महिला सदस्यों को प्राथमिकता दी जाएगी। जिन प्रकरणों में पति–पत्नी दोनों को पूर्व से वृद्धावस्था पेंशन मिल रही हो उनमें दोनों को मिल रही पेंशन यथावत रखी जाय। उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश दिनांक 17 जून 2016 के अनुसार भी पति–पत्नी में से केवल एक को ही वृद्धावस्था पेंशन अनुमन्य की जाएगी और ऐसे मामलों में महिला सदस्यों को प्राथमिकता दी जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों में वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृत करने का अधिकार सम्बन्धित ग्राम पंचायत में तथा शहरी क्षेत्र में पेंशन स्वीकृति का अधिकार उपजिलाधिकारी में निहित होगा। योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार वृद्धाओं के अपने भरण पोषण हेतु आवेदन ग्रामीण क्षेत्र हेतु ग्राम पंचायत एवं शहरी क्षेत्र के लिए सहायक समाज कल्याण अधिकारी/तहसीलदार को देना होगा जिसमें आयु प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र एवं परिवार रजिस्टर आदि की जॉच के उपरान्त पेंशन स्वीकृत की जाती है। योजनान्तर्गत वृद्धावस्था पेंशन अनुदान का भुगतान अप्रैल 2006 से रु0 400 प्रतिमाह, जनवरी 2014 से रु0 800 प्रतिमाह तथा जून 2016 से रु0 1000 प्रतिमाह की दर से भुगतान किया जाता है।

कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तरकाशी के वृद्धावस्था पेंशन से सम्बन्धित अभिलेखों की जॉच में पाया गया कि विकास खण्ड डुण्डा के कुल 4847 लाभार्थियों में से 1712 लाभार्थियों जिनकी पेंशन बी.पी.एल. आई. डी. के आधार पर स्वीकृत की गयी थी, की जॉच में पाया गया कि शासनादेश के उपरोक्त प्रावधान कि पति–पत्नी में से केवल एक को ही पेंशन स्वीकृत की जाएगी, का उलंघन कर 221 अपात्र लाभार्थी पति पत्नी दोंनों को पेंशन स्वीकृत की गयी थी तथा उनको लगातार पेंशन का भुगतान प्रदान की जा रही थी **(सूची संलग्न)**। इस प्रकार से इकाई द्वारा अपात्र लाभार्थी को पेंशन स्वीकृत किये जाने के कारण उनके स्वीकृति की तिथि से वर्तमान तक धनराशि रु0 104.14 लाख का अदेय भुगतान किया गया था।

लेखापरीक्षा में इस ओर इंगित किये जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में अवगत कराया कि इस प्रकार का मामला सर्व प्रथम वर्ष 2011 में कार्यालय के संज्ञान में आया था जिसके पश्चात अधिकतर लाभार्थियों की पेंशन बन्द कर दी गयी थी परन्तु विभिन्न शिविरों, समारोहों में जनसामान्य एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा भारी विरोध होने के कारण मुख्यमंत्री घोषणा एवं जिलाधिकारी महोदय के निर्देश के क्रम में उनकी पुनः पेंशन जारी कर दी गयी थी। परन्तु इस सम्बन्ध में वर्तमान तक कोई शासनादेश जारी नहीं हुआ है।

अतः वृद्धावस्था पेंशन मद में अपात्र लाभार्थियों को धनराशि रु0 104.14 लाख के अदेय भुगतान का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग – 2 (ब)

प्रस्तर:**1-**अनुसू चत जाति दशोमोत्तर छात्रवृ त्त मद में कार्यालय द्वारा शक्षण संस्थान के भन्न भन्न कोर्स में धनरा श 17.36 लाख की अनिय मत भुगतान।

उत्तराखण्ड शासन के पत्र दिनांक 14-11-2014 के बिंदु सं 12 के अनुसार जिला समाज कल्याण अ धकारी द्वारा कार्यालय में प्राप्त नवीन/सवीनीकरण ऑनलाइन छात्र सूची को जाँच हेतु सम्बं धत सहायक समाज कल्याण अ धकारी को उपलब्ध करायी जाएगी। सहायक समाज कल्याण अ धकारी संस्थान में जाकर सूची में अं कत छात्रों के भौतिक सत्यापन के अतिरिक्त मुख्य रूप से जाति, आय प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, गत वर्ष में उत्तीर्ण प्रमाण पत्र, सम्बन्धित संस्था में संचा लत कोर्स की मान्यता एवं कोर्स हेतु निर्धारित फीस स्ट्रक्चर आदि सूचनाओ की जाँच करेगा। संबं धत सहायक समाज कल्याण अ धकारी द्वारा निर्धारित कये गए समय के अंतर्गत अपनी जाँच आख्या जिला समाज कल्याण अ धकारी को उपलब्ध कराई जाएगी। जाँच में कसी प्रकार की लापरवाही अथवा बिलम्ब के लए सम्बं धत सहायक समाज कल्याण अ धकारी जिम्मेदार होंगे। इसके उपरांत जिला समाज कल्याण अ धकारी द्वारा ई -पेमेंट के माध्यम से सीधे लाभा र्थयो के सी. बी. एस बैंक खाते में छात्रवृ त्त की भुगतान कया जायेगा ।

कार्यालय जिला समाज कल्याण अ धकारी, उत्तरकाशी के अनुसू चत जाति दशमोत्तर छात्रवृ त्त सम्बं धत वर्ष 2016-17 की अ भलेखों के जाँच में यह देखा गया की Smt. Manjira Devi Institute of Education Science and Technology शक्षण संस्थान के अनुसू चत जाति के कुल 40 लाभा र्थयो को भन्न भन्न कोर्स हेतु वर्ष 2016-17 में वगत वर्ष 2015-16 के बकाया छात्रवृ त्त के रूप में धनरा श 17,36,500=00 की भुगतान कया गया था । जाँच में यह पाया गया की इस निजी शक्षण संस्थान की भन्न भन्न कोर्स हेतु मांग की गयी शक्षण शुल्क की ढांचा शासन द्वारा निर्धारित नही कया गया है जब क कार्यालय द्वारा दिनांक 15-02-2016 को सहायक समाज कल्याण अ धकारी को निर्दे शत कया गया था की उपरोक्त शक्षण संस्थान की जाँच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें। सम्बं धत सहायक समाज कल्याण अ धकारी द्वारा जो जाँच रिपोर्ट प्रस्तुत कया गया था उसमे शक्षण संस्थान की भन्न भन्न कोर्स हेतु निर्धारित शुल्क से सम्बं धत कोई टिपण्णी नही पाई गई है जब क शासनादेश में भौतिक सत्यापन के दौरान सम्बं धत कोर्स की मान्यता एवं निर्धारित शक्षण शुल्क की जाँच के सम्बन्ध में स्पष्ट निर्देश दिया गया था।

लेखापरीक्षा के दौरान इस वषय पर पूछे जाने पर इकाई द्वारा बताया गया की शुल्क निर्धारण सम्बं धत शासनादेश वर्तमान में कार्यालय में उपलब्ध नही है पर पत्राचार कर शक्षण संस्थान से माँगा जायेगा साथ ही लेखापरीक्षा को उपलब्ध करा दिया जायेगा ।

इकाई के उत्तर मान्य नही है कारण सहायक समाज कल्याण अ धकारी द्वारा भौतिक सत्यापन के दौरान शक्षण शुल्क शासन द्वारा निर्धारित है या नही इसकी जाँच करना चाहिए था एवं सत्यापन में नही पाए जाने की दशा में अपनी जाँच रिपोर्ट में उल्लेख करना चाहिए था । इस प्रकार उदाशीनता के

कारण शक्षण संस्थान की शुल्क निर्धारित न होने के बावजूद वर्ष 2016-17 में 40 लाभा र्थयो को धनरा श 17.36 लाख का भुगतान कया गया जो की अनिय मत भुगतान दर्शाता है ।
अतः निजी शक्षण संस्थान के 40 अनुसू चत जाति के लाभा र्थयो को वर्ष 2016-17 में धनरा श 17.36 लाख का अनिय मत भुगतान का प्रकरण उच्चा धकारी के संज्ञान में लाया जाता है ।

भाग दो (ब)

प्रस्तरः 2- राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अन्य व्यय मद में गैर अनुमन्य मदों पर धनराशि रु0 3.88 लाख का व्यय किया जाना।

ग्राम्य विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 13 मार्च 2014 को जारी राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के दिशानिर्देश के नियम 7 के अनुसार वर्ष के दौरान कुल व्यय के तीन प्रतिशत तक की धनराशि प्रशासनिक मदों पर व्यय निम्नलिखित प्रावधानों के अन्तर्गत किया जा सकता है। योजनान्तर्गत अन्य व्यय मदों में निम्न पर व्यय किया जाना अनुमन्य है; पेंशन कार्ड, आवेदन पत्र की छपाई एवं वितरण, विकलांग पेंशन लाभार्थी के प्रमाण पत्र के लिए कैम्प के आयोजन, सूचना, शिक्षा एवं प्रचार के लिए कार्य, नोडल अधिकारी, ग्राम्य विकास के कार्मिकों आदि के प्रशिक्षण एवं प्रबन्ध सूचना तंत्र मदों पर व्यय आदि। इस मद में वेतन, पारिश्रमिक, मानदेय, वाहन क्रय एवं मरम्मत, निर्माण कार्य आदि मदों पर व्यय किया जाना अनुमन्य नहीं है।

कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तरकाशी के राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अन्य व्यय के अन्तर्गत वर्ष 2016–17 एवं 2017–18 में किये व्यय सम्बन्धी अभिलेखों की जॉच में पाया गया कि योजनान्तर्गत कुल उपलब्ध रु0 10.17 लाख की धनराशि में से रु0 9.43 लाख का व्यय किया गया था। आगे अभिलेखों की जॉच में पाया गया कि इकाई द्वारा योजनान्तर्गत गैर अनुमन्य मदों जैसे अन्य योजना की आवेदन पत्र छपाई, डाक टिकट, एवं डीजल क्रय, फिंगर प्रिंट मशीन क्रय आदि मदों पर व्यय किया गया था। उपरोक्त अवधि में निम्न विवरणानुसार धनराशि रु0 3.88 लाख का व्यय गैर अनुमन्य मदों पर किया गया था। विवरण निम्नवत् है;

क्र.सं.	मद	क्रय/भुगतान का दिनांक	धनराशि
1	डीजल क्रय	06.07.2016	3300
2	डाक टिकट	15.07.2016	10000
3	डीजल क्रय	31.03.2016	9462
4	डीजल क्रय	30.04.2016	8595
5	डीजल क्रय	30.07.2016	8282
6	डीजल क्रय	30.09.2016	13744
7	डीजल क्रय	31.08.2016	8555
8	डीजल क्रय	31.10.2016	9303
9	अनु.जाति शादी योजना के आवेदन पत्र की छपाई	27.06.2016	3960
10	टेलीफोन बिल	25.03.2017	20822
11	डीजल क्रय	30.12.2016	13943
12	डीजल क्रय	31.01.2017	6993
13	डीजल क्रय	28.02.2017	11574
14	डीजल क्रय	31.03.2017	10625
15	इनवर्टर क्रय	09.02.2017	46000

16	फर्नीचर क्रय	19.01.2017	42650
17	मानदेय भुगतान	14.06.2017	56400
18	डाक टिकट	21.06.2017	10000
19	डीजल क्रय	30.04.2017	12103
20	डीजल क्रय	31.05.2017	6988
21	डीजल क्रय	30.06.2017	14337
22	डीजल क्रय	31.07.2017	19262
23	फिंगर प्रिंट मशीन क्रय	30.06.2017	10500
24	डीजल क्रय	30.11.2017	3904
25	डीजल क्रय	31.10.2017	12566
26	डीजल क्रय	29.09.2017	10274
27	डीजल क्रय	31.08.2017	3700
	कुल योग		**387842**

उपरोक्त विवरणानुसार इकाई द्वारा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अन्य व्यय मद में गैर अनुमन्य मदों पर व्यय किया गया था।

लेखापरीक्षा के दौरान इस ओर इंगित किये जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में अवगत कराया कि कार्यालय व्यय मद में कम बजट आवंटन होने के कारण इस मद से कार्यालय संचालन के लिए आवश्यक कार्यो में ही व्यय किया गया है। भविष्य में योजनान्तर्गत अनुमन्य मदों पर ही व्यय किया जाएगा। इकाई का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि योजनान्तर्गत अनुमन्य मदों पर ही व्यय किया जाना चाहिए था।

अतः राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अन्य व्यय मद में गैर अनुमन्य मदों पर धनराशि रु0 3.88 लाख का व्यय किये जाने सम्बन्धी प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग दो 'ब'

प्रस्तरः3– राजकीय अनुसूचित जाति आवासीय छात्रावास में भोजन व्यवस्था पर रू 8.71 लाख का अनियमित व्यय एवं विगत 19 माह से भोजन व्यवस्था लागू न होने से छात्र भोजन पाने से वंचित।

समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत संचालित आवासीय संस्थाओं में भोजन व्यवस्था के सम्बन्ध में जारी शासनादेश (जनवरी/2009) में प्रावधानित है कि समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत संचालित विभिन्न आश्रम पद्वति विद्यालय तथा 25 एवं उससे अधिक संवासियों/संवासिनियों की समस्त आवासीय संस्थाओं में भोजन व्यवस्था निविदा के आधार पर Outsource के माध्यम से कराये जाने का प्रावधान है।

कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी उत्तरकाशी के लेखाभिलेखों की जाचॅ में पाया गया कि इकाई के अन्तर्गत संचालित अम्बेड़कर आवसीय छात्रावास, तिलोथ में वर्ष 2015–16, 2016–17 एवं 2017–18 में छात्रों की संख्या 48 थी। जिसके लिए नियमानुसार निविदा के माध्यम से भोजन की व्यवस्था किया जाना चाहिए था। जिसका अनुपालन इकाई द्वारा नही किया गया। छात्रावास में भोजन व्यवस्था पर बिना निविदा के आधार पर प्रत्यक्ष रूप से बाजार दर पर क्रय कर किया गया। इस प्रकार भोजन व्यवस्था पर वर्ष 2015–16 एवं 2016–17 में भोजन व्यवस्था पर छात्रावास प्रशासन द्वारा रू 8.71 लाख का अनियमित धनराशि व्यय किया गया है जो कि शासनादेश की अवहेलना है। यह भी संज्ञान में आया कि माह 06/2016 से अब (11/2017) तक छात्रावास में निवासरत छात्रों के लिए किसी भी प्रकार की भोजन आपूर्ति नही की जा रही है। अतः विगत 19 माह से छात्रावास में निवासरत छात्रों द्वारा स्वयं ही भोजन की व्यवस्था की जा रही है जो कि अत्यन्त गभीरं प्रकरण है। जिस उद्देश्य के लिए छात्रावास का गठन किया गया है वह पूर्णत विफल रहा। क्योकि छात्र गरीब परिवार से सबन्ध रखते है ऐसे में उनके द्वारा स्वयं भोजन की व्यवस्था किया जाना अत्यन्त मुश्किल कार्य है। जबकि इकाई द्वारा निविदा के माध्यम से भोजन की व्यवस्था अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए था। जब कि वर्ष 2017–18 सम्प्रेक्षा अवधि (11/2017) तक के लिए भोजन व्यवस्था पर रू 3 लाख की धनराशि आवंटित किया गया है। धनराशि उपलब्ध होने के बावजूद भी छात्रावास में निवासरत संवासी भोजन पाने से वंचित है।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित करने पर इकाई ने कहा कि सदर्भित छात्रावास में भोजन व्यवस्था हेतु वर्ष 2016–17 में कई बार निविदा हेतु विज्ञप्ति जारी की गई परन्तु किसी भी निविदादाता द्वारा शासनादेश के अनुसार शर्ते पूर्ण नही होने के कारण सम्बन्धित समिति द्वारा कोई भी निविदा स्वीकृत नही होने के कारण छात्रावास में भोजन व्यवस्था नही की जा सकी थी। उत्तर सम्प्रेक्षा को मान्य नही है। निविदा स्वीकार न होने की दशा में छात्रों के लिए भोजन व्यवस्था के लिए अनिवार्य रूप से वैकल्पिक व्यवस्था किया जाना चाहिये था जिससे की छात्रावास में निवासरत

छात्र भोजन व्यवस्था से वंचित न रहे। निविदा स्वीकार न होने की दशा में भोजन की **वैकल्पिक** व्यवस्था न होने के फलस्वरूप छात्रों को विगत 19 माह से भोजन पाने से वंचित है जो विभागीय शिथिलता को दर्शाता है।

अतः राजकीय अनुसूचित जाति आवासीय छात्रावास में भोजन व्यवस्था पर रू 8.71 लाख का अनियमित व्यय एवं विगत 19 माह से भोजन व्यवस्था **लागू** न होने से छात्र भोजन पाने से वंचित रखने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग दो 'ब

प्रस्तर :4–अनुसूचित जाति उपयोजना अन्तर्गत 03 निर्माण कार्य अपूर्ण रहना एवं रू 77.43 लाख अवरूद्व रखना।

अनुसूचित जाति उपयोजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास योजना के अन्तर्गत शासनादेश संख्याः 645/XVII-4/2016-01(28)/2015 दिनांक 31 मार्च 2015 वित्तीय वर्ष 2014–15 में जनपद में 45 निर्माण कार्यो के लिए रु0 680.09 लाख का आवंटन प्रदान किया गया था। इन कार्यो में बारात घर, सी0 सी0 मार्ग निर्माण, सम्पर्क मार्ग एवं सामुदायिक भवन आदि कार्य शामिल थे।

उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या; 99/xxvii(14)/2009 दिनांक 03 सितम्बर, 2009 के प्रावधानों के अनुसार सरकारी विभागों के कार्यो हेतु बैंक में खाता खोलने का कोई प्रावधान नहीं है जब तक कि शासन के वित्त विभाग द्वारा विशेष कार्य/अवधि हेतु अनुमति प्राप्त न की गयी हो। यदि कोई अनाधिकृत बैंक खाता खोला गया हो तो उसे तत्काल बन्द कर दिया जाय एवं खाते में अवशेष धनराशि विभागीय पी.एल.ए में रखी जाय। यह भी वर्णित है कि जब किसी कार्य के लिए तत्काल धन की आवश्यकता हो तभी कोषागार से आहरित किया जाय।

कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी उत्तरकाशी की अनुसूचित जाति उपयोजना निर्माण सम्बन्धित अभिलेखों की जाचॅ में पाया गया कि वर्ष 2013–14 एवं 2014–15 की 03 कार्य अपूर्ण है। जिसका विवरण निम्न हैः–

(धनराशि लाखों में)

क्र ०स०	**वर्ष**	**योजना का नाम**	**स्वीकृत धनराशि**	**अवमुक्त धनराशि**	**अवशेष धनराशि**
01	2013–14	ग्राम पंचायत विगसारी के अ०जा० बस्ती में बारातघर का निर्माण	18.90	9.30	9.60
02	2014–15	ग्राम पंचायत धामपुर के सदियाण नामें तों मे पैदल आर सी सी पुलिया का निर्माण	16.95	8.48	8.48
03	2014–15	ग्राम पंचायत जखोल के मयिाणा तोक पर आर सी सी पुलिया का निर्माण	15.24	7.62	7.62
योग			51.09	25.04	25.04

उक्त तीन कार्य विगत 3 से 4 वर्षो से अपूर्ण है जबकि शासनादेश के अनुसार निर्माण कार्य उसी वित्तीय में पूर्ण कर लिया जाना चाहिए था। निर्माण से सम्बन्धित भाग दो पंजिका तथा उपलब्ध करायी गयी विवरण की जॉच में

यह भी पाया गया कि वर्तमान में रु 102.47 लाख अनावश्यक रुप से बैंक खाते में अवरुद्ध पडी है जबकि उक्त शेष कार्य हेतु रू 25.04 के दायित्व शेष है। इस प्रकार विभिन्न कार्यो की अवशेष धनराशि (102.47–25.04) रू 77. 43 लाख सम्प्रेक्षा अविध (11/17) तक अवरूद्व पड़ी है। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित करने पर इकाई ने कहा कि अवशेष 03 निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात अवशेष धनराशि यथाशीध्र राजकोष में जमा की जायेगी। इकाई के उत्तर से लेखापरीक्षा **आप त** की स्वतः पुष्टि होती है।

अतः अनुसूचित जाति उपयोजना अन्तर्गत 03 निर्माण कार्य अपूर्ण रहना एवं रू 77.43 लाख अवरूद्व रखने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग दो (ब)

प्रस्तरः 5 लाभार्थियों के मृत्यु के उपरान्त धनराशि रु0 5.00 लाख के वृद्धावस्था पेंशन का अदेय भुगतान किया जाना।

शासनादेश दिनांक 17 जून 2016 के अनुसार वृद्धाओं के अपने भरण पोषण हेतु आवेदन ग्रामीण क्षेत्र हेतु ग्राम पंचायत एवं शहरी क्षेत्र के लिए सहायक समाज कल्याण अधिकारी/तहसीलदार को देना होगा जिसमें आयु प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र एवं परिवार रजिस्टर आदि की जॉच के उपरान्त पेंशन स्वीकृत की जाती है। योजनान्तर्गत वृद्धावस्था पेंशन अनुदान का भुगतान अप्रैल 2006 से रु0 400 प्रतिमाह की दर, जनवरी 2014 से रु0 800 प्रतिमाह की दर तथा जून 2016 से रु0 1000 की दर से भुगतान किया जाता है। वृद्धावस्था पेंशन नियमावली 1981 के बिन्दु नियम 30 के अनुसार समस्त पेंशनरों की छमाही जॉच कि पेंशनर **जी वत** है और वर्तमान में भी निराश्रित है कराया जाएगा। यह सत्यापन वित्तीय वर्ष के तुरन्त बाद मास अप्रैल एवं पुनः अक्टूबर माह में की जाएगी जिसकी रिपोर्ट जिलाधिकारी को प्रत्येक वर्ष मई तथा नवम्बर की 15 तारीख तक भेजी जाएगी।

कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तरकाशी के वृद्धावस्था पेंशन अनुदान से सम्बन्धित अभिलेखों की जॉच में पाया गया कि वर्ष 2016–17 एवं 2017–18 में जनपद के कुल 21293 लाभार्थियों के सापेक्ष धनराशि रु0 3511.98 लाख का व्यय किया गया था। लाभार्थियों के सत्यापन के सम्बन्ध में इकाई द्वारा अवगत कराया गया कि शत प्रतिशत् लाभार्थियों का भौतिक सत्यापन प्रत्येक वर्ष किया जाता है। परन्तु सत्यापन सम्बन्धी अभिलेखों की जॉच में पाया गया कि कार्यालय द्वारा ग्राम पंचायतवार सूची में सम्बन्धित ग्राम पंचायत विकास अधिकारी द्वारा सत्यापन के दौरान मृत्यु अथवा अपात्र होने की दशा में मृत्यु का दिनांक तथा अपात्र हाने का दिनांक दर्शित नहीं किया जाता जबकि प्रेषित प्रारुप में मृत्यु के दिनांक अंकित किये जाने का उल्लेख किया गया है। यह भी पाया गया कि इकाई द्वारा प्रत्येक वर्ष लाभार्थियों का विधिवत सत्यापन नहीं किया गया था। जिसके परिणामस्वरुप कार्यालय को यह पता ही नहीं चल पाता कि पेंशन के रुप में निर्गत की जा रही धनराशि वास्तविक रुप से पात्र एवं जिवित लाभार्थी को ही प्रदान की जा रही है अथवा नहीं। कार्यालय के पास इस तरह का कोई तंत्र/अभिलेख विद्यमान नही था जो यह सुनिश्चित कर सकें कि त्रैमासिक भुगतान किये जाने से पूर्व मृत्यु की सूचना तिथि सहित कार्यालय को प्राप्त हो रही हो। वर्ष 2017–18 में सत्यापन में मृत पाये गये लाभार्थियों, जिनकी मृत्यु का दिनांक दर्शित थी की जॉच में पाया गया कि उनको मृत्यु के उपरान्त भी 01 से 61 माहों तक पेंशन का भुगतान कार्यालय द्वारा किया गया है। विवरण निम्नवत् है;

क.सं.	लाभार्थी का नाम/पिता व पति का नाम	लाभार्थी संख्या	मृत्यु का दिनांक	माह तक किया गया पेंशन भुगतान	अधिक भुगतानित माह की संख्या	अदेय भुगतानित पेंशन की राशि
1	दौलतू/रता	R01021201420	24.07.2016	06/2017	11	11000
2	जीती/सुतारु	R01021201423	23.07.2016	06/2017	11	11000
3	अषाडू/जालमू	R01021201478	28.07.2016	06/2017	11	11000
4	गब्बूदास/हुक्म दास	U01021200113	13.10.2015	09/2016	11	11000
5	माघी/गब्बल दास	U01021200117	22.02.2015	09/2016	19	6400
6	सैसरी/फूलानाथ	U01021200183	03.07.2013	09/2017	50	41200
7	घडमिंया लाल/गुदडिया	U01021200185	25.05.2014	09/2017	40	35200
8	अमर सिंह/कुवंर सिंह	U01021500007	22.08.2011	09/2016	61	33600
9	जोगेश्वर सिंह/कौर सिंह	U01021500008	20.06.2013	09/2016	39	22400
10	भागीरथी देबी/जगत राम	U01021500009	16.12.2011	09/2016	57	32000
11	बालम देई/कमल सिंह	U01021500020	2011	09/2016	57	32000
12	नरेन्द्र सिंह/कौर सिंह	U01021500027	05.10.2014	09/2016	23	9600
13	चैन सिंह/गौर सिंह	U01021500045	17.10.2014	09/2016	23	9600
14	जगतमा देबी/जयपाल सिंह	U01021500046	26.06.2016	09/2016	03	3000
15	भगत सिंह/कौर सिंह	U01021500053	17.02.2012	09/2016	55	31200
16	बाला देई/विजयपाल सिंह	U01021500057	03.02.2013	09/2016	43	25600
17	अशुली देबी/रुकम सिंह	U01021500062	04.01.2015	09/2016	20	7200
18	रुकम सिंह/चैन सिंह	U01021500074	24.02.2014	09/2016	31	16000
19	कर्ण सिंह/झुण सिंह	U01021500079	03.10.2012	09/2016	47	28000
20	नारायण सिंह/रौपाल सिंह	U01021500097	24.08.2016	09/2016	01	1000
21	ज्ञानानन्द/इन्द्र दत्त	U01021500168	21.01.2014	09/2016	32	16800
22	विश्वम्बर दत्त/ब्रहमदत	U01021500169	06.09.2013	09/2016	36	20000
23	इश्वरी देबी/गिरवीर सिंह	U01021500171	2012	09/2016	45	28800
24	पार्वती देबी/हरि सिंह	U01021500172	06.12.2014	09/2016	21	6400
25	नाग देई/भोपाल सिंह	U01021500174	20.02.2014	09/2016	31	16000
26	शान्ति देबी/चतर सिंह	U01021500182	26.05.2015	09/2016	16	4000
27	साकम्बरी/गौरी दत्त	U01021500189	04.08.2014	09/2016	25	11200
28	रुद्रा/खन्तूडू	R01031500887	25.12.2016	06/2017	06	6000
29	वहीद/फूल मोहम्मद	R01031501326	15.03.2015	09/2016	18	5600
30	पविता देबी/जीत सिंह	R01031502632	02.01.2016	09/2016	08	7200
	कुल योग					**500000**

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि यदि लाभार्थी का प्रत्येक वर्ष विधिवत सत्यापन नहीं किया गया था, यदि किया गया होता तो लाभार्थियों को मृत्यु के उपरान्त 61 माह अर्थात 5 वर्ष तक लगातार पेंशन के अदेय भुगतान से बचा जा सकता था। इस प्रकार से इकाई द्वारा मृत्यु के उपरान्त धनराशि रु0 5.00 लाख का अदेय भुगतान किया गया था।

लेखापरीक्षा में इस ओर इंगित किये जाने पर इकाई ने आपत्ति को स्वीकारते हुए अपने उत्तर में बताया कि लाभार्थियों का भौतिक सत्यापन विकास खण्ड के कार्मिकों द्वारा सम्पादित कराया जाता है उनके द्वारा वार्षिक सत्यापन रिपोर्ट में इन लाभार्थियों के सम्बन्ध में मृत्यु की सूचना समय से न दिये जाने के कारण लाभार्थियों को पेंशन भुगतान किया जाता रहा है। वर्तमान में सभी लाभार्थियों की पेंशन बन्द कर दी गयी है। इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि मृत्यु की सूचना प्राप्त होने पर पेंशन बन्द करने के साथ उनको भुगतानित अदेय पेंशन की राशि की वसूली भी की जानी चाहिए थी जो नहीं की गयी।

अतः लाभार्थियों के मृत्यु के उपरान्त धनराशि रु0 5.00 लाख के वृद्धावस्था पेंशन का अदेय भुगतान किये जाने सम्बन्धी प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर :1– गौरा देवी कन्याधन योजना के अन्तर्गत 248 लाभार्थियों को रू 124 लाख का भुगतान न किया जाना।

गौरा देवी कन्याधन योजनान्तर्गत अनुसूचित जातियों एवं सामान्य वर्ग के उन परिवारों को लाभ दिया जायेगा जो गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहें हो अथवा जिनकी वार्षिक आय रू 15976/(ग्रामीण क्षेत्रों) एवं में 21206/–शहरी क्षेत्र से अधिक न हो। योजना के अन्तर्गत चयनित प्रति छात्रा को रू 50000 की धनराशि कन्याधन के रूप में स्वीकृत की जायेगी। शासनादेश के प्रावधानों के अनुसार इण्टरमीडिएट परीक्षाफल घोषित होने के 15 दिनों के भीतर अर्थात अधिकतम जुलाई माह तक सम्बन्धित कार्यालय द्वारा एफ डी आर बनाये जाने हेतु छात्राओं के खातें में ऑनलाईन धनराशि स्थान्तरित कर दी जायेगी।

कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी उत्तरकाशी के अनुसूचित जाति एवं जन जाति गौरा देवी कन्याधन योजना के वर्ष 2016–17 के लेखाभिलेखों की जाचॅ में पाया गया कि अनुसूचित जाति के 360 एवं जनजाति के 26 लाभार्थियों को योजना के लाभ हेतु चयनित किया गया था। जिसमें से अनुसूचित जनजाति के समस्त छात्राओं को रू 13 लाख की धनरशि वितरित किया जा चुका है जबकि अनुसूचित जाति के 360 लाभाथिर्यो में से मात्र 112 लाभार्थियों को रू 56 लाख की धनराशि वितरित की जा चुकी है जबकि वर्ष 2016–17 में अवशेष 248, पात्र लाभार्थियों को सम्प्रेक्षा अवधि (11/2017) तक भुगतान नही किया गया था। जिसके लिए इकाई द्वारा रू 124.00 लाख का भुगतान किया जाना शेष था। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित करने पर इकाई ने कहा कि अवशेष लाभार्थियों के लिए धनराशि की मॉग की जा रही है धनराशि प्राप्त होते ही अवशेष पात्र लाभार्थियों का भुगतान किया जायेगा। उत्तर सम्प्रेक्षा को मान्य नही है क्योकि वर्ष 2016–17 में अवशेष लाभार्थियों को परीक्षाफल धोषित होने के 15 भीतर ही एफ डी आर के रूप में धनराशि बैक को आनलाईन प्रेषित कर दिया जाना चाहिए था जबकि परीक्षाफल जून 2017 में घोषित होने के (11/2017 तक) 06 माह के पश्चात भी धनराशि लाभार्थियों के खातो में स्थानानतरण नही किया गया था।

अतः गौरा देवी कन्याधन योजना के अन्तर्गत 248 लाभार्थियों को रू 124 लाख का भुगतान न किया जाना का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग–3

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण निम्नवत् है;

प्रति.संख्या	वर्ष	भाग–दो अ प्रस्तर सं0	भाग–दो ब प्रस्तर सं0	**STAN** प्रस्तर सं0
10	**2011-12**	**01** से **05**	**01** से **03**	शुन्य
131	**2014-15**	**01**	**01** से **04**	**01,02**
82	**2016-17**	शुन्य	**01** से **06**	शुन्य

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः–

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अलुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
उपरोक्त वर्णित अनिस्तारित प्रस्तरों में से वर्ष 2016–17 के प्रस्तरों की अनुपालन आख्या निदेशक, समाज कल्याण को प्रेषित है कि प्रति लेखापरीक्षा को प्रस्तुत किया गया। जिनमें से साक्ष्यों के अवलोकन पश्चात कोई भी प्रस्तर निस्तारण योग्य नहीं पाया गया। शेष बकाया प्रस्तरों के निस्तारण के सम्बन्ध में इकाई ने अवगत कराया कि अनुपालन आख्या पूर्व में निदेशक, समाज कल्याण को प्रेषित किया गया था एवं पुनः वर्तमान स्थिति को लेते हुए आख्या तैयार कर उचित माध्यम से महालेखाकार कार्यालय को प्रेषित कर दिया जाएगा।				

भाग–4

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

शून्य

भाग–5

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधित सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय **जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तरकाशी** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः–

(अ) **शून्य**

सतत अनियमितताएंः–

(अ) **शून्य**

2. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया

क्रम संख्या	नाम	पदनाम	अव ध
1	श्री नरेन्द्र कुमार यादव	जिला समाज कल्याण अधिकारी	8/4/16 से 17/11/16
2	श्री` जीत सिंह रावत	जिला समाज कल्याण अधिकारी	18/11/16 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तरकाशी** को इस आशय से प्रेषित कर दी जाएगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उपमहालेखाकार/सामाजिक क्षेत्र कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), महालेखाकार भवन, कौलागढ़, उत्तराखण्ड, देहरादून को प्रेषित कर दी जांए।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी/सामाजिक क्षेत्र